<u>तत्काल</u>

सं. एन-22/2/2021-पीएंडसी

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन , नई दिल्ली
दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में माह सितम्बर, 2022 के लिए मंत्रिमण्डल के लिए मासिक सारांश - के संबंध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में सितम्बर, 2022 के लिए मासिक सारांश (अनुलग्नक) के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक : यथोक्त।

सतीश चंद्रन

(टी आर सतीश चंद्रन)
संयुक्त निदेशक
दूरभाष: 2338 4390

प्रति संलग्नकों सहित, ईमेल के माध्यम से:

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. माननीय उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
5. सचिव, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक

उपभोक्ता मामले विभाग
सितंबर, 2022 माह के लिए मासिक सारांश

सितंबर, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

1. मूल्य निगरानी:

1.1 सचिव (उपभोक्ता मामले) को एग्रीवॉच की साप्ताहिक प्रस्तुति में पांच दालों (चना, अरहर, उड़द, मूंग और चना) और तीन सब्जियों (प्याज, आलू और टमाटर) की कीमतों, उत्पादन, उपज और आयात और निर्यात परिदृश्य को शामिल किया गया है।

1.2 आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निगरानी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के लिए 30.09.2022 को एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

2. मूल्य स्थिरीकरण कोष:

2.1 पीएसएफ के तहत तूर केएमएस 2021-22 की खरीद के लिए दूसरी किस्त के रूप में 35.28 करोड़ रुपये जारी किए गए।

2.2 मूंग 21-22 के 0.50एलएमटी, ग्राम R-22 के 4एलएमटी और तूर K-21 के 0.35 एलएमटी को पीएसएस से पीएसएफ में हस्तांतरित करने के लिए पीएसएस के नकद क्रेडिट खाते में 2,675.89 करोड़ रुपये जारी किए गए।

2.3 पीएसएफ के तहत प्याज की खरीद के लिए छठी किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए।

2.4 मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 52.68 लाख रुपये जारी किए गए।

3. उपभोक्ता संरक्षण:

3.1 उपभोक्ता आयोगों में लंबित उपभोक्ता मामलों के समय पर और प्रभावी निपटान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लंबे समय से लंबित मामलों को **'राष्ट्रीय लोक अदालत'**, जो 12 नवंबर, 2022 को आयोजित की जा रही है, **के माध्यम से निपटाने के लिए चिह्नित किया जा रहा है।**

3.2 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अपने राज्य/जिला स्कंधों के माध्यम से उन मामलों को निपटाने में राज्य/जिला उपभोक्ता आयोगों की सहायता करेगा जहां दोनों पक्ष आपसी सहमति से निपटारे पर सहमत होते हैं। 2000 से अधिक लंबित मामलों वाले उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठकें की गईं। अध्यक्ष आपसी समझौते के तत्व वाले मामलों की पहचान करेंगे और लोक अदालत को भेजने से पहले पार्टियों को परामर्श के लिए आमंत्रित करेंगे। साथ ही, जिन प्रमुख संगठनों जैसे बैंकिंग, बीमा, रेलवे, डाक, दूरसंचार, ई-कॉमर्स कंपनियां आदि के खिलाफ उपभोक्ता मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें भी सूचित किया गया है।

3.3 अब तक उपभोक्ताओं और प्रमुख प्रतिवादी संगठनों को 491665 एसएमएस और 86894 ईमेल भेजे जा चुके हैं। लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण हेतु 2880 की सहमति प्राप्त हो चुकी है।

4. भारतीय मानक ब्यूरो:

4.1 माह के दौरान 16 नए मानक बनाए गए हैं और 20 मानकों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा, नए मानकों के निर्माण के लिए 28 प्रस्तावों और संशोधन के लिए 123 प्रस्तावों पर विचार किया गया।

4.2 सचिव (उ.मा.), महानिदेशक, बीआईएस और अन्य बीआईएस अधिकारियों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएसओ केंद्रीय सचिवालय द्वारा 19-22 सितंबर 2022 तक अबू धाबी में आयोजित कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ आईएसओ वार्षिक बैठकों में भाग लिया, जिसमें 56वीं डीईवीसीओ पूर्ण बैठक और 85 वीं तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) की बैठक, आईएसओ परिषद की बैठक, आईएसओ महासभा बैठक और साइडलाइन की श्रृंखला शामिल है। आईएसओ महासभा की साइडलाइन पर, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएसओ, यूरोपीय संघ (सीईएन-सीईएनईएलईसी) और अरब देशों (एआईडीएसएमओ) क्षेत्रीय मानक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, ईरान, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान, यूके और यूएसए के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।

4.3 घरेलू विनिर्माताओं को 406 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए और 21 लाइसेंस विदेशी निर्माताओं को दिए गए। इसके अलावा, घरेलू विनिर्माताओं को 2538 लाइसेंस दिए गए और विदेशी निर्माताओं के 52 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया। लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों को संसाधित करने और लाइसेंसधारियों के संचालन की निगरानी के लिए, 491 प्रारंभिक निरीक्षण, बीआईएस और ओएसए द्वारा 4129 निगरानी निरीक्षण, 548 एलओटी निरीक्षण और 326 अन्य निरीक्षण देश भर में किए गए। इस अवधि के दौरान, 06 नए उत्पाद मानकों को प्रमाणन के तहत शामिल किया गया। अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत कुल 20,280 प्रचालनरत लाइसेंसों के साथ 366 नए लाइसेंस जारी किए गए, 612 समावेशन और 546 नवीनीकरण किए गए।

4.4 रासायनिक और विद्युत आईएस के अनुसार बीआईएस द्वारा 02 नई निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है। इसके अलावा, बीआईएस द्वारा प्रयोगशालाओं की 09 नियमित और 09 निगरानी लेखापरीक्षा की गई है।

4.5 माह के दौरान 1865 नए ज्वैलर्स पंजीकृत किए गए हैं, और 35 नए ए एंड एच केंद्रों को मान्यता दी गई है।

4.6 07 नए प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। यूपी जल निगम, एमपी जल निगम, राजस्थान पीएचईडी और दिल्ली जल बोर्ड के लिए पाइप्ड पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

4.7 05 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, 45 उद्योग जागरूकता कार्यक्रम, शोधार्थियों के लिए 307 कार्यक्रम, सरकारी मंत्रालय / विभाग / अधिकारियों के साथ 19 कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों पर 02 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4.8 इस माह के दौरान 04 छापे/ तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाए गए, 241 शिकायतें प्राप्त हुईं और 173 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

5. व्यवसाय सुगमता:

5.1 उद्योग-जगत/उद्योग संघों के अनुरोध पर, विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तु) नियम, 2011 में संशोधन किया गया ताकि विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तु) संशोधन नियम, 2021 के शुरू होने की तारीख 30 नवंबर, 2022 तक बढ़ाई जा सके।

5.2 समय प्रसार परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में दिनांक 28.09.2022 को हाइब्रिड मोड में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की गई।

5.3 विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 से अपराध संबंधी धाराओं को हटाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा हेतु उद्योग-जगत और उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के साथ सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में 29 सितंबर, 2022 को हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की गई थी।

7. एसीसी निर्देश:

सुश्री रूपा दत्ता के कार्यमुक्त होने के बाद से वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का पद 17.07.2021 से रिक्त है । इस रिक्ति को पद के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भरा जाना है। अत: विभाग के पास एसीसी का कोई निर्देश लम्बित नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें - पिछले एक माह का रुझान:

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश भर के 253 केंद्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतों को संकलित किया गया है और अगस्त, 2022 की तुलना में सितंबर, 2022 माह के लिए औसत खुदरा मूल्य नीचे दिए गए हैं। :-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (₹/किग्रा)

क्रमांक	वस्तु	सितंबर, 2022	अगस्त, 2022	अंतर (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	38	37	1
2	गेहूँ	31	31	0
3	आटा	36	35	1
4	चना दाल	73	73	0
5	अरहर दाल	111	109	2
6	उड़द दाल	108	107	1
7	मूंग दाल	103	102	1
8	मसूर दाल	97	97	0
9	चीनी	42	42	0
10	दूध (प्रति लीटर)	54	52	2
1 1	मूँगफली का तेल	191	190	1
12	सर्सो टेल	178	181	-3
13	वनस्पति	150	153	-3
14	सोया तेल	155	159	-4
15	सूरजमुखी का तेल	179	182	-4
16	पॉम ऑयल	130	138	-8
17	गुड़	51	49	2
18	चाय खुली	281	282	-1
19	नमक पैक	21	20	1
20	आलू	28	27	1
21	प्याज़	26	26	0
22	टमाटर	41	34	7

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग।

मासिक अर्ध शासकिय पत्र के अलावा एक पृथक पत्राचार के माध्यम से मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए संशोधित प्रारूप

उपभोक्ता मामले विभाग

1.	माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां	मासिक सारांश में उल्लिखित
2.	लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रूके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले ।	शून्य
3.	तीन माह से अधिक समय से लंबित अभियोजन के लिए स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	शून्य
4.	उन मामलों का विवरण जिनमें व्यापार नियमों के लेन-देन या सरकार की स्थापित नीति से अपक्रम हुआ है	शून्य
5.	चल रहे स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)	विगत माह में दो अभियान पूरे किए गए
6.	स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति	शून्य
7.	शासन-विधि और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी।	उपलब्ध नहीं
8.	स्वायत्त निकायों / पीएसयूज सहित विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्ति की रिक्ति स्थिति	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का एक पद रिक्त है
9.	उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है	शून्य
10.	माह के दौरान स्पष्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों की स्थिति।	शून्य